ISSN 2278-8808
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES
UGC APPROVED SR. NO. 45269
SJIF 2016 = 6.177

महिला सशक्तिकरण, चिन्तन का एक गंभीर मुद्दा।

राज कुमार माली, Ph. D. & श्री अनुप कुमार

बी टी टी सी (सी टी सी), गॉधी विद्या मन्दिर, सरदार भाहर, चूरू राजस्थान

आई ए एस ई (डी) वि वविद्यालय, सरदार ाहर चूरू राजस्थान

Scholarly Research Journal's ***is licensed Based on a work at*** *www.srjis.com*

सम्पूर्ण वि व में आज भारतीय महिला को त्याग और बलिदान की देवी के रूप में अपनी पहचान बनाये हुऐं है। महिला वर्ग के साथ भेदभाव व असमानता का व्यवहार प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। हमे ाा ऐसा नही रहा है, पुरूशों की ही तरह महिलाऐं भी समाज का अभिन्न अंग है। समाज में वे केवल बेटी, बहन, पत्नी, माँ के रूप में ही नही जानी जाती बल्कि वे परिवार को आर्थिक रूप में स ाक्त करने के साथ–साथ समाज व राश्ट्र को भी दि ाा प्रदान करते हुए दे ा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसमें चाहे कोई सरकारी या गैर सरकारी संगठन या विभाग क्लर्क या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत होना हो, दे ा की बाह्य सुरक्षा या कूटनीति से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो (विदे ा मंत्री सुश्मा स्वराज) दे ा की आन्तरिक सुरक्षा से जुडा हुआ कोई मुद्दा हो पुलिस विभाग, (आई पी एस किरण वेदी) सेना की विभिन्न महिला बटालियन, लड़ाकु जहाज के चालक के रूप में या फिर दे ा का सर्वोच्च पद राश्ट्रपति (प्रतिभा सिंह पाटिल) या प्रधानमंत्री (श्रीमति इंदरा गांधी) के साथ–साथ खेलों में भी (सविता पुनिया ओलपियन, सानिया मिर्जा, साईना नेहवाल) सौन्द्रर्य प्रतियोगिता (ऐ वरया राय बच्चन, प्रियकां चोपड़ा,) के रूप में महिलाओं ने अपनी योग्यता, नेतृत्व, समझ, सहन ीलता का पूर्णतः प्रमाणिक परिचय दिया है।

नारी सेवा को ही अपना अधिकार समझती है और इसी दि ाा मे सारी जिन्दगी अपने अनथक प्रयास करती रहती है। इसीलिए उसे त्याग की देवी कह कर संबोधित किया जाता है। अतः महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये सर्वप्रथम उन्हें स्वय के प्रति जागरूक होना होगा। ऐसा केवल शिक्षा व सामाजिक समानता के द्वारा ही सभंव है। यह एक ऐसा स ाक्त माध्यम है जो महिलाओं को आत्म विश्वास, आत्म निर्भरता, आत्म सम्मान व आत्म बल जागृत कर उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपर्ण भमिका अदा कर सकता है।

महिला स ाक्तिकरण चिन्तन का एक गंभीर मुद्दा

वर्तमान समय में महिला स ाक्तिकरण का नारा चारों ओर गूंज रहा है। आज महिलाओं का अधिकार क्षेत्र सिर्फ घर की चाहरदीवारी ही नही रह गया है बल्कि वे तो पुरूशों के साथ सभी क्षेत्रों में अर्थात् राजनीति, ि ाक्षा, साहित्य, विज्ञान, खेलों, प्रबंधन में कंधे से कंधा मिला कर दे ा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। संवैधानिक दृश्टि से भी महिलाओं को आज पुरूशों के बराबर कानून अधिकार दिये गये है। अधिकतर महिलाऐं अपने अधिकारों के प्रति संजग भी है। बदलती सामाजिक परिस्थितियों व महिला स ाक्तिकरण के बढते प्रयासों के कारण तो महिलाओं की स्थिति तो और अधिक श्रेश्ठ होती जा रही है। वैज्ञानिक विकास के कारण बढ रहे प्रचार–प्रसार के कारण प्राचीन रूढिया अपने आप टूटती जा रही है। रोजगार के बढते क्षेत्र के कारण रूढिया और अधिक तीव्र गति से टूट रही है। लोगों के जीवन मूल्यों में बड़ा भारी परिवर्तन आ रहा है। आज समाज में अि ाक्षित महिलाऐं भी जीविकोपार्जन के लिए घर की

दहलीज को लॉघ चूकी है। भारतीय नारी को आज इस विशय पर जरूर संतोश हो रहा है कि संवेधानिक अधिकारों, कानून, सामाजिक सुधार व बढती जागरूकता के परिणामस्वरूप उसने सामाजिक रूढियों को तोड़ते हुए वि व मंच पर अपनी निजी पहचान बनाई है। अन्तर्राश्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के साथ–साथ पूरे वि व को महिलाओं को पुरूशों के बराबर समानता देने का एक प्रतीक बन गया है। इसी दिन भारत ही नही बल्कि पूरे वि व के सभी राश्ट्र महिलाओं के अधिकारों व उसकी पुरूशों से समान्ता के लिए एक मंच पर आ जाता है। सभी विकसित और विकास ाील दे ाों में बड़े स्तर पर इस दिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। परन्तु अफसोस की बात है कि लोग इस दिन से पहले और बाद में महिलाओं के अधिकारो को जैसे जानबूझ कर भूल जाते है। इसी कारण दिल्ली में हुए निर्भया जैसे मुद्दे को पूरे दे ा के लोग एकजूटता के साथ उठाते है।

''अरस्तु की यह भोच थी कि पुरूश प्राकृतिक रूप से श्रेश्ठ है और महिलाओ की भूमिका सिर्फ संतानोत्पति और घर में पुरूशों की सेवा करना है। भारत में मनु ने यहि किया। सामाजिक संहिता बनाई गई, जिसके तहत महिलाओं को पितृसतात्मक ब्राह्मण समाज में दोयम दर्जा स्वीकार करने के लिए ढाला। नारीवादीयों की दलील है कि सीता, सावित्री और अन्य तरह की कहानियां इसलिए गढी गई तांकि महिलाएं खुद ही दोयम भूमिका स्वीकार कर लें।''**(1) सम्पादकिया अभिव्यकित, दैनिक भास्कर पृष्ठ संख्या 4 दिनांक 16 मई 2017।**

हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़े विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक, दा ार्निक, सांस्कृतिक ग्रन्थों पर ध्यान दे तो वहॉ एक बात वि ोश रूप में आती है कि जहॉं नारियों का सम्मान होता है, वहॉं देवताओं का निवास होता है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस युग में नारी का बड़ा आदर व सम्मान था। केवल मात्र घर–गृहस्थी के कार्यो में ही नही था बल्कि स्त्री के बिना कोई भी धार्मिक कृत्य, अनुश्ठान सम्पन्न नही माना जाता था। इसी तरह वैदिक काल में तो कोई भी धार्मिक अनुश्ठान में नारी का होना अनिवार्य माता जाता था। आज भी घरों में जब वैदिक पद्धति से यज्ञ, हवन एवं पूजा पाठ करवाया जाता है तो उसमें पति व पत्नि को जोड़े के रूप में बैठना होता है तभी यज्ञ को पूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल और मध्य काल में नारी ि ाक्षा की कोई वि ोश व्यवस्था की जानकारी प्राप्त नही होती। केवल मात्र कुछ साधन सम्पन्न या उच्च वर्ग की महिलाऐं तक ही ि ाक्षा सीमट कर रह जाती थी। ''ऋग्वेद काल कें तुरन्त बाद उत्तरवैदिक काल, धर्मसूत्रों एव स्मृतियों के युग में स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। स्त्री के साथ भोजन करने वाला पुरूश गर्हित आचरण करने वाला व्यक्ति बताया गया।''**(2) वृहदारण्यक उपनिशद 6/4**। वर्तमान काल में महिला ि ाक्षा की व्यस्था को व्यवस्थित करने के प्रयास किय जा रहे है। विभिन्न आयोगो, समितियों, योजनाओं ने महिला ि ाक्षा को बढाने के अनेक प्रयास किये है और वे काफी मात्रा में सफल भी रहे है। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं का दर्जा आज भी पुरूशों के बराबर नही हो पा रहा है। कुछ लोगों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किये है। इसी तरह के प्रयासों की भाुरूआत में सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का उभर कर सामने आता है। उन्होने सती प्रथा के विरूद्ध कानून पास करवा कर स्त्रियों की स्थिती को सुधारने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। इसी तरह ई वर चन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द जैसे महान् व्यक्तियों ने भी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी भारत में स्त्रियों से संबंधित विभिन्न अधिनियम और वैधानिक प्रावधान बनाऐ गये थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में महिलाओं के विकास के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 व 18 का निर्माण महिलाओं को अधिकार देने के रूप में किया गया। इसी तरह कस्तुरबा गॉंधी, विजय लक्ष्मी, सरोजनी नायडु आदी महिलाओं ने भी महिलाओं के प्रति होने वाले भाोशण के विरूद्ध आवाज उठाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के प चात भी भारत में महिलाओं के संरक्षण के लिए और अधिक प्रभाव ाली कानून और संवैधानिक उपबंधों की व्यवस्था की गई। इसी दि ाा में एक प्रयास के रूप में भारत सरकार ने स्पे ाल मैरिज एक्ट 1954 व हिन्दु से ान एक्ट 1961 का निर्माण किया जिससे दहेज प्रथा व बाल विवाह पर रोक लगा पाना संभव हुआ और उन्हे पैतृक सम्पत्ति पर बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ। संविधान निर्माण के बाद भी समय

और जरूरत की माँग के अनुसार संविधान में बार–बार सं ाोधन होते रहे। इसी तरह का एक प्रयास भारतीय संविधान के 73वें स ाोधन के रूप में ग्राम पंचायतों की सदस्यता में एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे। इसी तरह का एक प्रयास लोकसभा में भी महिलओं को 33 प्रति ात आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु लोकसभा में महिलाओं की अनुपात संख्या कम होने के कारण व पुरूश प्रधानता के कारण अभी तक यह मांग पूर्ण नही हो पाई है। इसके बाजजूद न्याय व्यवस्था का वि लेशण करने या समाज में हो रहे महिलाओं के भाोशण से यह बात स्पश्ट रूप में उभर कर सामाने आ रही है कि संवैधानिक और विधिक उपबंधों के होने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा की घटना अभी भी जारी है। इसके बावजूद व्यथा–कथा, उत्पीड़न, अपमान, तिरस्कार, हिंसा, प्रताड़ना जैसी समाज की आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली घटनाऐं आज भी घट रही हैं। ''एक सर्वे के मुताबिक भारत में सारे समुदायों को मिलाकर सिर्फ दो–तिहाई महिलाएं ही घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कराती है। यदि हमें महिलाओं की गरीमा की चिंता है तो हमे इस सामाजिक बुराई से सबसे पहले निपटना चाहिए।'' **(3) सम्पादकिया अभिव्यकित, दैनिक भास्कर पृष्ठ संख्या 4 दिनांक 16 मई 2017।** महिलाऐं चाहे कितनी भी सशक्त क्यों न हुई हो, पुरुष की बर्बरता, घिनौनापन, वीभत्सता, उदण्डता उतनी ही सीमा में ओर बढती जा रही है।

उदाहरण के रूप में दिल्ली का निर्भया घटना।

इसी तरह की न जाने कितनी और घटनाऐं दे ा के अलग–अलग हिस्सों में हो रही हो। इसी बारे मे **गृह मंत्रालय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट (2002) (4)** के अनुसार सन् 2001 में सम्पूर्ण देश में अपहरण की घटनाओं में अधिकांश किशोरिया ही थी तथा दूसरे नम्बर पर महिलाऐं इसका शिकार होती हैं महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में केवल अत्याचारी का रूप एवं नाम ही बदलता है अत्याचार का रूप वही रहता है। अगर महिलाऐं कामकाजी हैं, तो कार्य स्थल पर गृहिणी हैं, तो घर–परिवार में यौन शोषण और हिंसा की चपेट में आती हैं। इसी तरह वि व स्तर पर **यूनेस्को** द्वारा प्रकाशित (भारत एवं कोरिया गणराज्य में) **''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा''** सम्बन्धी प्रतिवेदन में भारत के सन्दर्भ में निम्न प्रमुख तथ्य स्पष्ट किये गये हैं। समाज की सामाजिक संरचना को निर्धारित करने वाली पितृसत्तात्मक वैचारिकी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के लिये प्रमुखतः उत्तरदायी है। पुरूष प्रभुत्व पर आधारित समाज ही जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरूषों की आधीनता, अनुसेवा तथा निर्भरता स्वीकार करने हेतु बाध्य करता है। इसी कारण केवल युवा महिलायें ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण महिला पुरूष के अत्याचारों एवं यौन आक्रमणों का केन्द्र है। प्रतिवेदन के अनुसार महिलाओं के प्रति यौन–वस्तु सम्बन्धी दृष्टिकोण इतना प्रबल है कि किसी भी आयु की महिला यौन आक्रमण का शिकार हो सकती है।

(5) UNESCO, Principal Regional office, for Asia and the Packfic, Voilence Against Women: Report from Indian and the Republic of Korea, ed by Yogesh Atul & Meera Kosambi, Bangkok, 1993

समाज के विकास में ि ाक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्न तरह की भौक्षिक गतिविधियों, पाठ्यक्रमों के निर्माण, संचालन के द्वारा समाज को आगे बढाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ि ाक्षा ही वह साधन हो, जो समाज के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में क्रियान्वित करती है। इससे समाज में लोगों की उपलिब्धि का स्तर बढता है। जिससे समाज का विकास तीव्र गति से होता है। ''बचपन से ही या ि ाक्षा के द्वारा कुछ ऐसे पाठ्यकय या गतिविधियों का क्रियान्वयन करना चाहिए जिससे कि बच्चों में बचपन से महिलाओं के प्रति गर्व व सम्मान का दृश्टिकोण विकसित हो।'' **(6) सम्पादकिया अभिव्यकित, दैनिक भास्कर पृष्ठ संख्या 4 दिनांक 16 मई 2017।** वर्तमान संदर्भ में प्रकाि ात हो रही विभिन्न रिर्पोटों और आकड़ों से यह स्वत प्रमाणित हो रहा है कि महिला ि ाक्षा का प्रचार, प्रसार व विकास तो हो रहा है परन्तु यह एक सामान्य परिस्थिति तक ही यह हो पा रहा है। केवल मात्र कुछ चुनिदा परिवारों, भाहरों या क्षेत्रों में ही इसका विकास देखने को मिल रहा है। समाज की समस्त इकाइयों में नही। सामान्यत ग्रामीण क्षेत्रों में भाहरी क्षेत्रों के मुकाबले लड़कियों की ि ाक्षा में अपव्यय व अवरोधन द्वारा यह बात पूर्णत प्रमाणिक हो जाती है। इस बात से मना नही किया जा सकता कि महिला ि ाक्षा का तीव्र गति से प्रचार–प्रसार करने के अनेक प्रयास किये जा रहे

है, परन्तु फिर भी समाज में महिलाओं की भूमिका पुरूशों की तुलना में अभी भी काफी निम्न स्तर की है। अगर महिला ि ाक्षा या उनके सामाजिक आधार पर अध्ययन किया जाए तो ये बात अपने आप प्रमाणित हो जाएगी कि महिला स ाक्तिकरण गांवों की बजाय भाहरों, भाहरों में भी कुछ उच्च सामाजिक स्तर या जाति समूह के महिला परिवारों तक ही सीमित हो पाय है। इन समूहों में महिला ि ाक्षा का अनुपात देखे तो यह बात अपने आप प्रमाणित हो जाती है। सह ि ाक्षा में लड़कियों का विद्यालय में नामांकन या लड़कियों के लिए अलग से स्कूल, कालेज या वि वविद्यालय बहुत कम संख्या में है। वर्तमान की मूल समस्या है ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे महिलाओं का पुरूशों के बराबर समानता का दर्जा मिले। इसके लिए यह आव यक है कि समाज का प्रत्येक वर्ग अपने उतरदायित्व को समझे। इसके लिए महिला सभाक्तिकरण से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर कानून की प्रक्रिया मे सुधार करके कठोर कानुन बना कर इसे पूरा किया जा सकता है। अर्थात् समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए समानता के आधार पर कानून का निर्माण किया जाए जिसके पालन से राश्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण प्रयास होगा।

आरम्भ में पूरे वि व में अलग–अलग दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता था। संयुक्त राश्ट संघ ने 1975 में महिला दिवस को ओपचारिक रूप में मान्यता प्रदान कर दी। आज पूरा वि व में 8 मार्च को अन्तराश्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरा वि व सामूहिक रूप में महिलाओं के अधिकारों के प्रति एकरूप में जागरूक होता है। महिलाओं की दयनीय स्थिति भारत तक ही सीमित नहीं है अपितु यह तो विश्वव्यापी है। यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि विश्व इसे 08 मार्च 1975 को ही समझ पाया और अपने उत्तरदायित्व की इति श्री इस महिला विश्व सम्मेलन में आयोजन के द्वारा की है।'' भारत सरकार ने वर्श 2001 को महिला स ाक्तिकरण का वर्श घोशित कर महिलाओं के लिए अपने दायित्व की केवल औपचारिकताओं का निर्वाह किया। वास्तव में जब तक पुरूश वर्चस्व, महिलाओं का भाोशण, अि ाक्षा तथा सरकारी तंत्र व मीडिया द्वारा उपेक्षा को खत्म नही किया जाएगा तब तक महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में कोई वि ोश परिवर्तन संभव नही होगा। ये बेहद गंभीर विशय है कि पूरे वि व की तरह भारत में भी 8 मार्च को ही वि व महिला दिवस केवल मात्र एक ही दिन महिला भाक्तिकरण के रूप में मनाया जाता है। भारत में अधिका ा महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों का प्रयोग ही नही कर पाती क्योंकि इसमें पुरूशों की संकीर्ण मानसिकता अवरोध के रूप में कार्य करती है। भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति इस तरह की विवादास्पद धारणायें प्राचीन काल से ही पाई जाती है। आज तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत उतार–चढाव आऐ है परन्तु स्थिति फिर भी संतुश्टिजनक नही हो पाई है। महिलाओं के साथ होने वाले भाोशण और अपराध की मूल जड़े समाज के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि ये समस्याऐं समाज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप ही फलफूल रही है। ''हरियाणा के सोनीपत जिले की रहने वाली युवती का अपहरण के बाद दु कर्म और हत्या कर दी गई। दवाई कम्पनी में पैंकिग का काम करने वाली 22 व ीय युवती मध्यवर्गीय परिवार से थी। उसके भाव को जानवरों ने नोच कर क्षत विक्षत कर दिया। इसमें मुख्य आरोपी स्त्री का परिचित था और अन्य आरोपी पड़ोस के रहने वाले कुछ युवक है। इंदौर मध्यप्रदेश की रहने वाली 23 मॉडल की हत्या कर दी गई। आरोप प्यार का दावा करने वाले प्रेमी पर है। इंदौर से ही एक अन्य मामले में दौस्तों ने मिल कर युवती को छत से फैंक दिया। यहॉ पर भी प्रेमी से विश्वासघात हुआ था। ये महज उदाहरण है। दे ा में हर दो मिन्ट में महिलाओं के साथ अपराध होते है। राश्ट्रीय आपराधिक ब्यूरों के अनुसार महिलाएं सबसे ज्यादा हिंसा का ि ाकार होती है और इन्में परिचित–नाते–रि ातेदार–पति ही होते है।'' **(7) मधुरिमा, दैनिक भास्कर 24 मई 2017, पृश्ठ संख्या 01।** महिला वर्ग समाज का अभिन्न होने के बावजूद भी इसे लम्बे समय से सहता आ रहा है। ये समस्याऐं मूल रूप में महिला उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, दहेज प्रथा, दहेज के लिए हत्या, कुपोशण, प्रताड़ना, देह व्यापार (मानव) के रूप में निरन्तर हो रही है। इस तरह की समस्याओं से उत्पन परिस्थितियां समाज में महिलाओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध मूल रूप में महिला वर्ग के प्रति समाज में समानता, विकास एवं भाान्ति को वि ोश रूप से प्रभावित करते है। महिलाओं का भाारीरिक व

मानसिक उत्पीड़न मानवाधिकार के प्रति एक गंभीर समस्या है। वर्श 1993 में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के लिए वियना में हुए सम्मेलन का सन्दर्भ महिलाओं पर केन्द्रित था। इसी तरह वर्श 1995 में चीन के बीजिंग भाहर में हुए महिला सम्मेलन का मुख्य बिन्दु गरीबी व भाोशण को माना गया। महिलाओं का भाोशण व उनके प्रति अपराध समाज के सभी वर्गों में घरेलु व बाहरी दोनों तरह की परिस्थितियों में होता रहा है। इस तरह के एक अध्ययन में **अजीत रायदादा (2002)** ने अपने अध्ययन महिला उत्पीड़न समस्या और समाधान में पाया कि ''महिलाओं के विरूद्ध यौन हिंसा अपराध की गंभीरता व संवेदनशीलता का समुचित प्रदर्शन करता है। इस यौन शोषण की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि भुक्तभोगी शारीरिक कष्ट के साथ–साथ मानसिक यंत्रणा का दारूण दुख भोगन को विवश हो उठती है, जबकि वह पूरी तरह से निर्दोष होती है। पिछले 20 वर्षो में महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा 40 प्रतिशत अपहरण के प्रकरणों में 50 प्रतिशत तथा छेड़छाड़, दहेज हत्या के प्रकरणों में क्रमशः 60 प्रतिशत व 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।'' महिला भाक्तिकरण के अभाव व अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानता के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति और अधिक जटिल होती जा रही है। लेकिन महिला भाक्तिकरण के कारण महिला वर्ग अपनी पहचान व शक्ति के लिए सभी क्षेत्रों में जागरूक होती जा रही है। अकसर महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रों में असमानता का व्यवहार किया जाता है। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पोषण और कानूनी सभी क्षेत्रों में भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। इसलिए महिला वर्ग को सशक्तिकरण की अधिक जरूरत है। वास्तव में महिलाएं कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें स्त्री–पुरूष के अधिकार समान हों, अब हमारी सोच का प्रमुख विषय है। हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि केवल आर्थिक स्थिति बदलते ही पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। यद्यपि मानव विकास क्रम में आर्थिक व्यवस्था एक आधारभूत तत्व है जो व्यक्ति की नियता है किंतु इसके बावजूद नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन की पूरी जरूरत है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सम्पूर्ण विश्व के विभिन्न नारीवादी आन्दोलनों विशेष रूप से तृतीय विश्व के नारीवादी लेखकों के बीच हुए विभिन्न आलोचनात्मक संवादों व वाद–विवादों का परिणाम है। महिला सशक्तिकरण के अनेक निहितार्थ है। वस्तुतः नारी सशक्तिकरण का प्रश्न बहुआयामी है, किंतु मूल रूप में यह महिलाओं के बुनियादी मानव अधिकारों का प्रश्न है। लोकतांत्रिक मानकों के अनुरूप यह महिलाओं के मूल लोकतांत्रिक अधिकारों का भी प्रश्न है। साथ ही यह मात्र विधि सुरक्षा नहीं, प्रदत्त अधिकारों की प्राप्ति के लिए अवसरों की उपलब्धता का प्रश्न है – सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैयक्तिक, सामूहिक, वैश्विक सभी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर। वर्तमान भारत में गत कुछ वर्षो में अनेक मंचों से यह प्रश्न इसलिए उठा है कि विगत पांच दशकों में देश में लोकतंत्र की अनेकानेक उपलब्धियों के बावजूद आधी जन आबादी को भी दर्जा मिलना चाहिए था वह उससे वंचित है। महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य उन्हें अधिक शक्ति या सत्ता दिया जाना है अर्थात् महिला का अधिक सुविधापूर्वक कार्य करने के लिए उनमें चेतना एवं उन क्षमताओं का विकास किया जाना ताकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा सकें। सामाजिक दृष्टि से महिलायें शोषित मानी जाती है परन्तु अर्थशास्त्रीय दृष्टि से वह एक वर्ग के रूप में ऐसी संसाधन है जिनका उपयोग क्षमता से कम किया गया है। **(8) डॉ प्रवीण शुक्ल, महिला सशक्तिकरण की बाधायें एवं संकल्प, आर0 के0 पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली 2009, पृ0 46** इसलिए यह माना जा रहा है कि अधिकाधिक महिलाओं के शिक्षित–प्रशिक्षित होने तथा रोजगार में लगने से आबादी तथा गरीबी की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में, यदि अधिक महिलायें घर से बाहर आकर काम करें तो निश्चय ही दे ा की जी0 डी0 पी0 में वृद्धि होगी। यहाँ लड़कियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर अधिक व्यय किया जाय तो दीर्धकालिक सामाजिक एवं आर्थिक लाभ होंगे। चूँकि आर्थिक स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता की एक जरूरी शर्त्त है, अतः ऐसे प्रयास अंततः लाभदायक क्रियाकलापों तक महिलाओं की बढ़ती पहुँच पर केन्द्रित होने चाहिए।

मूल रूप में यह कहा जाए कि महिलाओं को अधिकार सम्पन्न होने के लिए उन्हे स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, तो इसमें कोई अति योक्ति नही होगी। जर्मेन ग्रियर का विचार ''औरत पैदा तो साथिन के रूप में

हुई थी, पर गुलाम बन गई, उसे गुलामी की लम्बी आदत हो गई, पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया था, लेकिन बुलबुल ने उडने से इंकार कर दिया।'' **(9) मधुरिमा दैनिक भास्कर, 8 मार्च 2010, पृश्ठ संख्या 03।** का सच होना स्वाभाविक होगा। सामाजिक भागिदारी, सामाजिक समानता के साथ–साथ मूल रूप में ि ाक्षा के द्वारा ही संभव है। वर्तमान काल में ि ाक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे महिलाओं में आत्म वि वास, आत्म निर्भरता, आत्म सम्मान व आत्म बल जागृत कर उन्हे स ाक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

1. **सम्पादकिया अभिव्यकित, दैनिक भास्कर पृष्ठ संख्या 4 दिनांक 16 मई 2017।**
2. **वृहदारण्यक उपनिशद 6/4।**
3. **सम्पादकिया अभिव्यकित, दैनिक भास्कर पृष्ठ संख्या 4 दिनांक 16 मई 2017।**
4. **गृह मंत्रालय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट (2002)**
5. UNESCO, Principal Regional office, for Asia and the Packfic, Voilence Against Women: Report from Indian and the Republic of Korea, ed by Yogesh Atul & Meera Kosambi, Bangkok, 1993.
6. **सम्पादकिया अभिव्यकित, दैनिक भास्कर पृष्ठ संख्या 4 दिनांक 16 मई 2017।**
7. **मधुरिमा, दैनिक भास्कर 24 मई 2017, पृश्ठ संख्या 01।**
8. **डॉ प्रवीण शुक्ल, महिला सशक्तिकरण की बाधायें एवं संकल्प, आर0 के0 पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स दिल्ली 2009, पृ0 46।**
9. **मधुरिमा दैनिक भास्कर, 8 मार्च 2010, पृश्ठ संख्या 03।**